संख्या-2/2025/529/सैंतालीस-का-1-2025-13(01)/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई , 2025**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही ससमय सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01 जुलाई, 2025 से चयन वर्ष 2025-26 प्रारम्भ हो रहा है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही समय से सम्पन्न न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते है तथा संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः पदोन्नति से भरे जाने वाली, चयन वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 15 अगस्त, 2025 तक पूर्ण कर ली जाए |

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

2.1 चयन वर्ष 2025-26 (दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 30 जून, 2026 तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम 31 जुलाई, 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, अन्यथा की स्थिति में विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करना होगा।

2.3 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है अथवा ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक पूर्ण कर/करा लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.4 पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियों जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव/अधियाचन, लोक सेवा आयोग को समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए|

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में, शासन स्तर पर, यथास्थिति संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या- 2/2025/529(1) /सैतालीस-का-1-2025-13(01)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।